ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

कब तक बचेंगे क्रशर की मार से ये पहाड़?

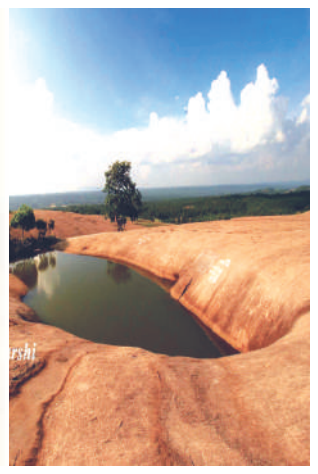

रविवारीय, 30 अगस्त-05 सितंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-04, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

आप सभी प्रिय पाठकों को ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से प्रकृति पर्व करमा की ढेर सारी शुभकामनायें

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचायक भी है : हेमन्त सोरेन

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने करम पर्व की झारखण्डवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति महापर्व करम पूजा हमारे संस्कृति की धरोहर है। यह प्रकृति के साथ समाज के समरूपता का परिचायक भी है। प्रकृति के प्रति लोगों का प्रेम और समर्पण ही यहाँ चलने को नृत्य बन देता है, और बोलने को संगीत।

ग्रीन रिवोल्ट ने यूरिया की कालाबाजारी और सरकारी दर से ज्यादा कीमत वसूलने का मुद्दा उठाया था, अब

यूरिया के खेल पर लगा कुछ हद तक अंकुश

संवाददाता

रांची : हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झारखंड में यूरिया की कीमत सरकारी दर से ज्यादा वसूलने के मुद्दे को ग्रीन रिवोल्ट ने मजबूती से उठाया था और सवाल उठाया था कि पर्याप्त मात्रा में झारखंड में अगर यूरिया के रैक की आवक है फिर भी यूरिया की कमी कैसे हो जाती है? और तय कीमत से ज्यादा देकर किसान यूरिया क्यों खरीदते हैं?

इस विषय को राज्य भर में सभी माध्यमों से उठाया गया था। यही कारण है कि यूरिया अब ज्यादतर जिलों में वाजिब कीमत पर किसानों को उपलब्ध हुआ है। हालांकि इसकी कालाबाजारी और किल्लत पैदा कर ज्यादा कीमत वसूलने का खेल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है । क्यों कि कृषि विभाग की तरफ से कुछ जगहों पर यूरिया खाद बिक्रेताओं पर कार्रवाई भी की गयी है। लेकिन यह सुकूनदेह है कि ज्यादतर जगहों पर अन्नदाता किसान को अब सरकारी दर से ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ रही है। हमने कई किसानों से सच जानने के लिये बात की तो उन्होंने बताया कि अब यूरिया खुदरा दूकानों पर सरकारी रेट पर उपलब्ध हो जा रहा है।

मजबूरी में सरकारी दर से सौ डेढ सौ अधिक दे रहे थे किसान

झारखंड में यूरिया की कृत्रिम कमी होलसेलरों ने बना रखी थी। इसी कारण से खुदरा दूकानदारों के यहां भी यूरिया महंगा बिक रहा था और कमजोर किसान सौ डेढ सौ रूपये तक ज्यादा देकर यूरिया खाद खरीद रहे थे। जबकि सरकारी दर 266 रुपये प्रति बोरी 50 किग्रा है। होलसेलरों ने यूरिया का रेलवे रैक नहीं लगना और यूरिया का शोर्टेज बताकर इसकी कीमत बढा रखी थी। कुछ जानकारों का कहना है कि खुदरा विक्रेताओं की दूकानों पर छापेमारी कर यूरिया की कालाबाजारी पर रोकथाम संभव है। लेकिन खुदरा दूकानदारों का कहना था कि हमें ही अगर होलसेलर ज्यादा कीमत पर यूरिया दे रहे हैं तो हम सरकारी दर पर कैसे बेंचे? हालांकि यूरिया के इस कालाबाजारी पर राज्यव्यापी खबरों के प्रकाशित होने के बाद सरकार की भी नींद टूटी है।

यूरिया का उपयोग धीरे-धीरे कम किया जायेः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का कहना है कि यूरिया का ज्यादा उपयोग खतरनाक है। यह हमारे खेतों की उर्वरता को बर्बाद कर देता है। शुरूआत में इसका उपयोग उपज को बढा देता है, पर धीरे-धीरे यूरिया जैसे उर्वरक खेतों की उर्वरता को समाप्त कर देते हैं। और उत्पादन घटने के साथ ही फसलें भी कमजोर होने लगती हैं। इन कमजोर फसलों को कीटों से बचाने के लिये हम इनपर कीटनाशकों का उपयोग करते हैं जो और ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा। इसका सबसे बड़ा घाटा किसानों को हुआ है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के उपयोग से फसल की लागत भी बढ गयी जिस कारण से किसानों का लाभ घटता चला गया। इस प्रकार की खेती में खाद्यान भी विषाक्त हो जाते हैं और जलवायु को भी क्षति हो रही है। अगले कुछ सालों में हमारा प्रयास है कि धीरे - धीरे रासायनिक उर्रवकों को बंद कर पारंपरिक तरीके से उर्वरता बढायें।

अब जंगलों पर भी हो सकता है प्राइवेट कंपनियों का कब्जा?

एजेंसियां

केंद्र सरकार के थिंक टैंक NITI आयोग अब जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल लागू करने पर विचार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक, प्राकृतिक जंगलों को बचाने और वनरोपण कार्यक्रम के लिए आयोग निजी कंपनियों के साथ समझौता करने के बारे में योजना तैयार कर रहा है।

नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि अभी देश में जारी वन्यीकरण कार्यक्रमों का कोई वांछित प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए इस क्षेत्र में भी अब पीपीपी मॉडल को लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और क्षमता और मैनपावर के साथ वन्यीकरण में आधुनिक तकनीक लाई जा सके।

नीति आयोग ने तैयार की गई एक प्रेजेंटेशन में बताया कि वनों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिये पीपीपी मॉडल को लागू किए जाने की जरूरत है, ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और आधुनिक तकनीक लाई जाए

बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल लागू किए जा सकता है, उनमें लकड़ी और गैर-लकड़ी के जंगली चीजों से तैयार किए गए उत्पाद, ईको कैंपिंग, ऑर्गेनिक खेती जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नियमों के मुताबिक, वन्यीकरण कार्यक्रम में अभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और कोऑपरेटिव पीएसयू, राज्य सरकार के अंतर्गत आने वन विकास निगम, ग्राम सभा-पंचायत, स्वायत्त जिले और ग्राम विकास बोर्ड, एनजीओ शामिल हो सकते हैं। अगर नीति आयोग की योजना सफल रहती है, तो आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां भी इस लिस्ट का हिस्सा बन सकेंगी।

माना जा रहा है कि जिन कंपनियों को सरकार अपने साथ वन्यीकरण कार्यक्रम में जोड़ेगी उनमें छोटे और मध्यम स्तर के फसल काटने वाले, कॉरपोरेट और टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है और सरकार ने इसे नीति का रूप नहीं दिया है। मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना को इसी महीने पेश किया जाना था, पर कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इसे नहीं दिखाया जा सका।

दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ने इस प्रस्ताव पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बर्बाद हो रहे जंगलों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा है, पर निजी कंपनियों को इसमें लाना समस्या पैदा कर सकता है। हालांकि, नीति आयोग के प्रेजेंटेशन के मुताबिक, इस तरह के कार्यक्रम के लिए सभी समझौते तीन हिस्सों में होंगे। इनमें केंद्र सरकार के साथ, निजी संस्था और स्थानीय समुदाय भी शामिल होगा।

59 वें राष्ट्रीय गेहुँ व ज्वार कार्य समुह की वर्चुअल मीट का आयोजन आईसीएआर महानिदेशक ने कहा

देश में गेंहु उत्पादन में उत्साहजनक वृद्धि

अजय कुमार

रांची कआईसीएआर - भारतीय गेहुँ एवं ज्वार अनुसंधान संस्थान (आ-ईआईडब्लूबीआर) , करनाल, हरियाणा ने सोमवार से दो दिवसीय 59 वें राष्ट्रीय गेहुँ व ज्वार कार्य समुह की वर्चुअल मीट का आयोजन किया. इस वर्चुअल मीट में देशभर के अखिल भारतीय समन्वित गेहुँ व ज्वार अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी- गेहुँ व ज्वार) के 29 केन्द्रों तथा करीब 55 वालंटियर केन्द्रों के 200 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया.

कार्यक्रम का उद्घाटन आ-ईसीएआर महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्र ने किया. उन्होंने बताया कि देश में गत रबी मौसम में गेहुँ के उत्पादन में उत्साहजनक वृद्धि देखने को मिली है. इस सफलता के लिए वैज्ञानिक एवं किसान प्रशंसा के हक़दार है. शोध केन्द्रों द्वारा शस्य तकनीकी प्रबंधन, कीट व रोग प्रबंधन तथा उन्नत किस्मों के विकास में काफी सराहनीय कार्य किये गये. जिसकी वजह से देश में गत वर्ष रबी में करीब 107 क्विंटल उत्पादन दर्ज किया गया. इस मौके पर आईआ-ईडब्लूबीआर के निदेशक डॉ जीपी सिंह ने देश में गेहुँ एवं ज्वार पर चल रहे वार्षिक शोध कार्यक्रमों और शोध केन्द्रों के वार्षिक गतिविधियों का प्रतिवेदन पेश किया. मीट में विभिन्न शोध केन्द्रों के परियोजना अन्वेंशकों ने शोध परियोजना से सबंधित कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर चर्चा की.

नेशनल ग्रुप मीट में भाग लेते बीएयू वैज्ञानिक

इस मीट बीएयू, रांची केंद्र की ओर से परियोजना अन्वेंशक डॉ सूर्य प्रकाश तथा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिक डॉ सुनील कुमार, डॉ एचसी लाल, डॉ एकलाख अहमद, डॉ साबिता एक्का तथा डॉ नैय्यर अली ने भाग लिया. मौके पर डॉ सूर्य प्रकाश ने केंद्र द्वारा गेहुँ फसल की150 से अधिक जीनोटाईप का प्रक्षेत्रों में जाँच प्रदर्शन, कीट एवं रोग प्रबंशन के विभिन्न मानकों तथा विभिन्न शस्य प्रणाली का तकनीकी प्रबंधन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गत रबी मौसम में कम अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने वाली गेहुँ किस्मों में डीबीडब्लू -14, एचआई -1563, डीबीडब्लू -107 तथा कम सिंचाई में गेहुँ की किस्म एचडी - 13-17 एवं एचडी - 31-71 का बेहतर प्रदर्शन बेहतर पाया गया है. 120 दिनों में औसतन 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने वाली बीएयू द्वारा विकसित किस्म बिरसा गेहुँ -3 को राज्य के लिए उपयुक्त पाया गया है. डायरेक्टर ऑफ़ रिसर्च डॉ अब्दुल वदूद ने बताया कि प्रदेश में 20 वर्ष पहले मात्र 30 हजार हेक्टेयर में गेहुँ की खेती की जाती थी. जबकि वर्तमान में करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहुँ की खेती की जा रही है. प्रदेश के लिए सिमित सिंचाई एवं देर से बुआई वाली बेहतर उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मीडिया सेल (कुलपति कोषांग) कांके, रांची

चारा अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिये बनाया एप

भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (ग्रासलैंड) ने देश के किसानों को चारा संबंधी फसलों के उत्पादन व संरक्षण की जानकारी देने के लिए चारा एप, फॉरेज इंडिया, फॉरेज सीड और फोडर एंड रेंज ग्रासेस नामक चार मोबाइल एप्लीकेशन बनाए हैं। इसके जरिए किसानों को चारा संबंधी हर जानकारी मिल सकेगी। यही नहीं, समस्या पर किसान सवाल भी पूछ सकते हैं।

इन एप में चारा फसलों की उन्नत तरीके से खेती करने और घास संरक्षण की विधियों को बताया गया है। ग्रासलैंड के निदेशक डॉ. विजय यादव ने बताया कि एप के जरिए नई किस्मों, बीज, उर्वरक, मशीनरी, मूल्य, मौसम, कीटों व रोगों की जानकारी, पोषक तत्व प्रबंधन, सही समय पर किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक की अहम जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही एप के माध्यम से किसान उपयोगी चारा फसलों व चारागाह के विकास के लिए ग्रासलैंड के कृषि वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया कि पशुओं की देखभाल करने और उनके लिए पौष्टिक राशन तैयार करने की विधियों का भी विवरण दिया गया है। मासिक फसल, पशुओं से संबंधित गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। यदि किसान को चारा फसलों संबंधी बीज खरीदना है तो वह एप के जरिए मंगवा सकते हैं। संस्थान के एप्टिक केंद्र से समय-समय पर मोबाइल संदेश भी किसानों तक चारा तकनीकों को पहुंचाया जा रहा है।

लगातार एप से जुड़ रहे किसान : ग्रासलैंड द्वारा बनाई गईं एप्लीकेशन को एंड्रायड मोबाइल फोन होने पर प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इन एप से किसान लगातार जुड़ रहे हैं। अब तक दो हजार से ज्यादा किसानों ने यह एप डाउनलोड कर ली है।

स्मार्टफोन का डार्क मोड ऑप्सन आपके आँखों को कर देगा खराब

शशिभूषण

आजकल स्मार्टफोन के साथ ऐप्स मेकर्स भी डार्क मोड का इस्तेमाल करने लगे हैं. वॉट्सऐप, फेसबुक मेसेंजर और ट्विटर पर डार्क मोड मिलने लगा है. इतना ही नहीं एंड्रॉइड 10 में गूगल ने सिस्टम-वाइड डार्क मोड का ऑप्शन भी दे दिया है.डार्क मोड दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन क्या आप जानते हैं यह आपकी नाजुक आंखों के लिए बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है.

इस समय स्मार्टफोन के अलग-अलग ऐप्स के लिए डार्क मोड फीचर काफी ट्रेंडिंग में है. डार्क मोड ऑन होने पर स्मार्टफोन की डिस्प्ले डार्क या ब्लैक कलर में हो जाती है. जिसकी वजह से कम रोशिनी आंखों में जाती है और ज्यादा देर तक आप फोन का इस्तेमाल बिना थके कर सकते हैं. लेकिन डार्क मोड जहां दिन में ठीक रहता है तो वहीं दिन के समय यह नुकसानदायक साबित होता है.

आखिर कैसे विजन को करेगा कमजोर ?

अगर आप लंबे समय से अपने स्मार्टफोन पर डार्क मोड इस्तेमाल करते हैं तो बाद में आपकी आंखें उसे ही अडॉप्ट कर लेती हैं और वाइट कलर का टेक्स्ट पढ़ना बेहतर लगता है. लेकिन जब आप लाइट मोड पर जाते हैं तो इसका असर आपकी आंखो पर पड़ता है, और विजन कमजोर होने लगता है.डार्क मोड का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बीमारी का कारण बन सकता है. लाइट से डार्क टेक्स्ट के बीच स्विच करने के बाद आपकी आंखें अचानक इस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकती हैं और ऐसे में ब्राइटबर्न की स्थिति भी दिख सकती है.

आंखों में एस्टिगमेटिज्म :फैयाज जिनका चश्में का शॉप है उनका कहना है की इस तरह के लोग जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर्स को डार्क मोड इस्तेमाल करने वाले लोगों में एस्टिगमेटिज्म नाम की बीमारी का पता चलता है . जिसमे एक आंख या फिर दोनों आंखों के कॉर्निया का शेप कुछ अजीब सा हो जाता है और ब्लर दिखने लगता है. ऐसे में आंख के फोकस पर असर पड़ता है.वैसे इनके लिए चश्मा का सलाह देते है या फिर मोबाइल का कम प्रयोग करने को भी कहते है.

आईटी एक्सपर्ट के अनुसार ऐसे में क्या करें ?

धीरज कुमार जो आईटी प्रोजेक्ट हेड हैं उनका कहना है की आजकल डिजिटल युग में मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग काफी हद तक बढ़ गया है फिर भी अपने खुबसूरत आंख को बचाना बेहद जरुरी है इसके लिए आंखों पर डार्क मोड की वजह से अगर कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं तो आपको डार्क मोड और लाइट मोड दोनों को बीच-बीच में स्विच करते रहना चाइये, जहां तक संभव हो स्मार्टफोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ही रखना चाहिये. दिन में लाइट मोड का इस्तेमाल करें जबकि रात में डार्क मोड का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा.

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के विकास पर तेजी से काम किया जाना चाहिए

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र में एसोशिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है। आपके 300 से अधिक लेख तथा 24 पुस्तकें प्रकाशित हैं। के. एन. भाल नामित पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, विज्ञान परिषद् प्रयाग शताब्दी सम्मान, राजभाषा भूषण पुरस्कार सहित अनेक अलंकरणों से सम्मानित डॉ. मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

प्लास्टिक जानवरों के पाचन तंत्र को बाधित कर देता है। कई वर्षों में संचित प्लास्टिक खतरनाक रसायन छोड़ता है और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिसके कारण जानवरों को अत्यधिक परेशानी होती है। उनके मरने के बाद उनका शरीर सड़ता है लेकिन तब भी प्लास्टिक के टुकड़े बच जाते हैं और दूसरे प्राणियों के लिए खतरे का कारण बन जाते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि हर वर्ष 100000 समुद्री कछुए प्लास्टिक खाने के कारण मर जाते हैं।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, प्लास्टिक सड़ते गलते नहीं हैं तथा पर्यावरण में वे स्थायी ठिकाना बना लेते हैं। हवा प्लास्टिक को अपने साथ उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देती है। प्लास्टिक उड़कर बाड़, इमारतों, टावरों और पेड़ों आदि मे अटक जाता है। जानवर इनके पास जाकर फंस जाते हैं तथा दम घुटने से वे मर भी सकते हैं। प्लास्टिक का निस्तारण जलाकर भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जलाने से जहरीले रसायन पैदा होते हैं जिनसे

वायुमंडल दूषित होता है। गौरतलब है कि प्लास्टिक का हर वह टुकड़ा, जो अपनी शुरुआत से कभी बना है, वह आज भी हमारे पर्यावरण में क-हीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मौजूद है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक आगामी सदियों तक वातावरण में बना रहेगा। प्लास्टिक का निर्माण पेट्रोलियम यानी तेल से होता है। तेल कार्बनयुक्त कच्चा माल है और प्लास्टिक बड़े कार्बन युक्त यौगिकों से बना होता है। तेल से बने प्लास्टिक नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे पॉलीप्रोपाइलीन (PP), लो-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (LDPE), हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (HDPE), पॉलीइथाइलीन टेरेथैलेट (PET) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) का पुनर्चक्रण (Recy-cling) किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इससे पहले कि प्लास्टिक से जुड़ी पर्यावरणीय समस्या और ज्यादा विकट तथा भयावह हो जाए, हमें इसे रोकने के लिए उपाय करने की जरूरत है। सर्वप्रथम प्लास्टिक के इस्तेमाल मे कमी लाने की जरूरत है। प्लास्टिक के विकल्प जो कि पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के बने होते हैं, हमें उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। खरीदारी के लिए बाज़ार जाते वक्त कपड़े या कागज की थैलियाँ साथ ले जाने की आदत डालनी चाहिए। हमें प्लास्टिक के उपयोग से परहेज करना चाहिए।

वक्त का तकाजा है कि प्लास्टिक के उत्पादन पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए। जो प्लास्टिक कूड़े के रूप में मौजूद है, उसका ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। प्लास्टिक से ईंधन बनाने के प्रयास में सफलता मिल रही है। साथ ही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के विकास पर तेजी से काम किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को प्लास्टिक का उचित विकल्प मिल जाए जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक न हो। अर्थात प्लास्टिक से उपजे पर्यावरणीय संकट से बचने के लिए हमें कई मुद्दों पर एक साथ काम करना होगा तभी हम इस विकट समस्या से पार पा सकेंगे।

(इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार)

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

अच्छा शगुन है ये

भारत में एक पुरानी कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान यानि आजीविका के लिये सबसे उत्तम कृषि है, उसके बाद व्यवसाय है और किसी की नौकरी को तो भारतीय संस्कृति में सबसे निम्न दर्जा दिया गया है। लेकिन यह कहावत आजादी के बाद धीरे - धीरे उलटी होती चली गयी। सरकारी नौकरी के लिये लोगों में होड़ लगती गयी, शहरों में जाकर नौकरी करना और भारत की परंपरागत आजीविका कृषि को सबसे तुच्छ माना जाने लगा। आज भी कई जगहों पर ये बात कही जाती है कि कृषि तो मजबूरी में की जाती है।

इधर हाल क कुछ सालों में पढे लिखे युवाओं में भी कृषि का आधुनिक व्यावसाय की तरह करने की ललक बढी है और वो वैसे फसलों की खेती कर रहे हैं जिससे किसी उद्योग की तरह लाभ होता हो। देश में ऐसे युवाओं की संख्या का बढना एक अच्छा शगुन है जो एमबीए या इंजीनियरिंग, सीए करने के बावजूद कृषि को स्वव्यवसाय के तौर पर अपना रहे हैं और वो मेडिसिनल प्लांट से लेकर उन फसलों तक की खेती कर रहे हैं जिसमें अच्छा मुनाफा होता है। इस कार्य के लिये वो लीज तक पर जमीन ले रहे हैं। याद किजिये कुछ साल पहले तक सब्जी के तौर पर उपयोग होने वाले ब्रोकली की खेती झारखंड में बहुत कम होती थी। अब सीजन में यहां के बाजार में ब्रोकली का दिखना आम है। कुछ ऐसा ही स्वीट कॉर्न के साथ है जिसकी उपलब्धता अब सालो भर है और शहरों में इसकी खपत भी अच्छी है। अब अगर कृषि को स्वव्यवसाय मान कर ही पढा लिख युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहा है तो इसे देश के लिये एक उम्मीद के तौर पर देखा जाना चाहिये। क्योंकि भले किताबों में हम पढते हों कि देश की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, पर हकीकत में हर रोज दस हजार किसान खेती छोड़ कर शहरों की ओर भागने का आंकड़ा दुखित करता है।

यूरोप का एक छोटा देश हॉलैंड जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं उसने आधुनिक तकनीक से सब्जियों के उत्पादन में श्रेष्ठता हासिल कर ली है और बिना भूमि के भी वह जल और गमले में टमाटर, मिर्च और अन्य हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में उगाते हैं और यूरोप के देशों को निर्यात भी करते हैं।

हमारे देश में पर्याप्त भूमि होने के बावजूद किसान कृषि से विमुख होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। पारंपरिक खेती अब किसानों के अनुसार घाटे का सौदा है इसलिये वह जमीन बटाई पर दे देते हैं। लेकिन हाल के सालों में युवाओं का कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक खेती की ओर रुझान शायद देश में कृषि की सोंच बदल दे? सरकार का भी कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास सराहनीय है।

मां के दूध से पाश्चाइराजेशन के जरिये खत्म कोरोनावायरस हो सकता है

मां के दूध में मौजूद कोरोनावायरस को पाश्चराइजेशन के जरिए खत्म किया जा सकता है। यह जानकारी हाल ही में किए एक नए शोध में सामने आई है। यह शोध यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया की रेड क्रॉस लाइफब्लड मिल्क नामक संस्था द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जोकि जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में प्रकाशित हुआ है।

इस शोध के प्रमुख ग्रेग वॉकर ने बताया कि, "हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मानव दूध के माध्यम से वायरस फैल सकता है, लेकिन इस बात का जोखिम हमेशा बना रहता है। ऐसे में पाश्चराइजेशन की मदद से इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दूध के नमूनों को जो कोरोनावायरस से संक्रमित थे उन्हें 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। जैसा की आमतौर पर मिल्क बैंक्स में किया जाता है। पाश्चराइजेशन के बाद जब इस दूध को टेस्ट किया गया तो उसमें कोरोनावायरस नहीं पाया गया। वॉकर ने बताया कि हमने वायरस की जिस मात्रा पर टेस्ट किये थे वो वास्तविकता में उस महिला के दूध में पाए गए गए वायरस से कहीं ज्यादा थे जो कोविड-19 से संक्रमित थी।

वैज्ञानिकों ने दूध को कोल्ड स्टोरेज में रखकर भी टेस्ट किया है, पर 4 से -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह वायरस नष्ट नहीं हुआ था। इस तरह यह स्पष्ट है कि कोरोनावायरस को पाश्चराइजेशन के जरिए दूध में से ख़त्म किया जा सकता है।

उथली होती नदियां ला रही हैं बाढ़

पंकज चतुर्वेदी

नदियां अपने साथ अपने रास्ते की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े और बहुत सारा खनिज बहा कर लाती हैं। पहाड़ों और नदियों के मार्ग पर अंधाधुंध जंगल कटाई, खनन, विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि के चलते थोड़ी-सी बारिश में ही बहुत सारा मलबा बह कर नदियों में गिर जाता है। नतीजतन नदियां उथली हो रही हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं और थोड़ा-सा पानी आने पर ही वे बाढ़ का रूप ले लेती हैं।

जान कर आश्चर्य होगा कि नदियों की मुक्ति का एक कानून पिछले चौंसठ सालों से किसी लाल बस्ते में बंद है। संसद ने सन 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट पारित किया था। इस कानून की धारा चार में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के लिए राज्यों से परामर्श कर बोर्ड बना सकती है। इस बोर्ड के पास बेहद ताकतवर कानून का प्रावधान है, जैसे कि जलापूर्ति, प्रदूषण रोकने आदि के लिए स्वयं दिशा-निर्देश तैयार करना, नदियों के किनारे हरियाली, बेसिन निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी आदि करना। नदियों के संरक्षण का इतना बड़ा कानून उपलब्ध है, लेकिन आज तक किसी भी नदी के लिए रिवर बोर्ड बनाया ही नहीं गया।

सावन तो सामान्य ही था, पर भादों जो झमक कर बरसा तो एक-एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला देश प्रकृति की इस अनमोल देन को आफत कहने लगा। घर-गांव-बस्ती पानी से लबालब हो गए। सब जानते हैं कि बरसात की ये बूंदें सारे साल के लिए अगर सहेज कर नहीं रखीं, तो सूखे की संभावना बनी रहती है। हर बूंद को सहेजने के लिए हमारे पास छोटी-बड़ी नदियों का जाल है। तपती धरती के लिए बारिश महज ठंडक नहीं लेकर आती, वह समृद्धि, संपन्नता की दस्तक भी होती है। मगर यह भी हमारे लिए चेतावनी है कि अगर बरसात औसत से ज्यादा हो गई, तो हमारी नदियों में इतनी जगह नहीं है कि वे इसके उफान को सहेज पाएं। नतीजतन, बाढ़ और तबाही के मंजर उतने ही भयावह हो सकते हैं, जितने कि पानी के लिए तड़पते बुंदेलखंड या मराठवाड़ा के। सन 2015 की मद्रास की बाढ़ बानगी है कि किस तरह शहर के बीच से बहने वाली नदियों को जब समाज ने उथला बनाया, तो पानी उनके घरों में घुस गया था। बंबई तो हर साल अपनी चार नदियों को लुप्त करने का पाप भोगती है। दूर भारत की बात क्या की जाए, राजधानी दिल्ली में यमुना नदी टनों मलबा उड़ेले जाने के कारण उथली हो गई है। एनजीटी ने दिल्ली मेट्रो सहित कई महकमों को चेताया, इसके बावजूद निर्माण से निकली मिट्टी और मलबे को यमुना नदी में खपाना आम बात हो गई है।

यह सर्वविदित है कि पूरे देश में कूड़ा बढ़ रहा है और कूड़े को खपाने के स्थान सिमट रहे हैं। विडंबना है कि चलती ट्रेन की रसोई के कूड़े से लेकर स्थानीय निकाय भी अपना कूड़ा अपने शहर-गांव की नदियों में ढकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसका ही कुप्रभाव है कि नदियां मर रही और उथली हो रही हैं। नदियों के सामने खड़े हो रहे संकट ने मानवता के लिए भी चेतावनी की घंटी बजा दी है। जाहिर है कि बगैर जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं। हमारी नदियों के सामने मूल रूप से तीन तरह के संकट हैं- पानी की कमी, मिट्टी का आधिक्य और प्रदूषण।

धरती के तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और इसी का परिणाम है कि या तो बारिश अनियमित हो रही है या फिर बेहद कम। मानसून के तीन महीनों में बमुश्किल चालीस दिन पानी बरसना या फिर एक सप्ताह में ही अंधाधुंध बारिश हो जाना या फिर बेहद कम बरसना, ये सभी परिस्थितियां नदियों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर रही हैं। बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी और ब्राह्मणी के रास्तों में पानी खूब बरसता है और इनमें न्यूनतम बहाव 4.7 लाख घनमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। वहीं कृष्णा, सिंधु, तापी, नर्मदा और गोदावरी का पथ कम वर्षा वाला है, इसलिए इसमें जल बहाव 2.6 लाख घनमीटर प्रति वर्ग किमी रहता है। कावेरी, पेन्नार, माही और साबरमती में तो बहाव 0.6 लाख घनमीटर ही रह जाता है। सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए अधिक दोहन, बांध आदि के कारण नदियों के प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ हुई और इसके चलते नदियों में पानी कम हो रहा है। भारतीय नदियों के मार्ग से हर साल 1645 घन किलोलीटर पानी बहता है, जो सारी दुनिया की कुल नदियों का 4.44 प्रतिशत है। आंकड़ों के आधार पर हम पानी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पूरे पानी का कोई पचासी फीसद बारिश के तीन महीनों में समुद्र में बह जाता है और नदियां सूखी रह जाती हैं।

नदियां अपने साथ अपने रास्ते की मिट्टी, चट्टानों के टुकड़े और बहुत सारा खनिज बहा कर लाती हैं। पहाड़ों और नदियों के मार्ग पर अंधाधुंध जंगल कटाई, खनन, विस्फोटकों के इस्तेमाल आदि के चलते थोड़ी-सी बारिश में ही बहुत सारा मलबा बह कर नदियों में गिर जाता है। नतीजतन नदियां उथली हो रही हैं, उनके रास्ते बदल रहे हैं और थोड़ा-सा पानी आने पर ही वे बाढ़ का रूप ले लेती हैं। यह भी खतरनाक है कि सरकार और समाज इंतजार करता है कि नदी सूखे और वह उसकी छोड़ी हुई जमीन पर कब्जा कर ले। इससे नदियों के पाट संकरे हो रहे हैं, उनके करीब बसावट बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। कल-कारखानों का कचरा, घरों की गंदगी, खेतों की रायायनिक दवा और खादों का हिस्सा, भूमि कटाव, और भी कई ऐसे कारक हैं, जो नदी के जल को जहर बना रहे हैं। अनुमान है कि जितने जल का उपयोग किया जाता है, उसके मात्र बीस प्रतिशत की खपत होती है, शेष अस्सी फीसद पानी कचरा समेटे बाहर आ जाता है। भले हम कारखानों को दोषी ठहराएं, लेकिन नदियों की गंदगी का तीन-चैथाई हिस्सा घरेलू मल-जल ही है।

आज देश की सत्तर फीसद नदियां प्रदूषित और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, मप्र की खान, उप्र की काली और हिंडन, आंध्र की मुंसी, दिल्ली की यमुना और महाराष्ट्र की भीमा मिलाकर दस नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। हालत यह है कि देश की सत्ताईस नदियां नदी के मानक पर खरे नहीं उतरती हैं। वैसे गंगा हो या यमुना, गोमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास, पार्वती, हरदा, कोसी, गंडगोला, मसैहा, वरुणा हो या बेतवा, ढाँक, डेकन, डागरा, रमजान, दामोदर, सुवर्णरेखा, सरयू हो या रामगंगा, गौला हो या सरसिया, पुनपुन, बूढ़ी गंडक हो या गंडक, कमला हो या फिर सोन, भगीरथी या इसकी सहायक, कमोबेश सभी प्रदूषित हैं और अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। दरअसल, पिछले पचास बरसों में अनियंत्रित विकास और औद्योगीकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा, श्रद्धा-भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बढ़ती चली गई। चूंकि नदी से जंगल, पहाड़, किनारे, वन्य जीव, पक्षी और जन जीवन गहरे तक जुड़ा है, इसलिए जब नदी पर संकट आया, तब उससे जुड़े सजीव-निर्जीव सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।

जान कर आश्चर्य होगा कि नदियों की मुक्ति का एक कानून पिछले चौंसठ सालों से किसी लाल बस्ते में बंद है। संसद ने सन 1956 में रिवर बोर्ड एक्ट पारित किया था। इस कानून की धारा चार में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के लिए राज्यों से परामर्श कर बोर्ड बना सकती है। इस बोर्ड के पास बेहद ताकतवर कानून का प्रावधान है, जैसे कि जलापूर्ति, प्रदूषण रोकने आदि के लिए स्वयं दिशा-निर्देश तैयार करना, नदियों के किनारे हरियाली, बेसिन निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी आदि करना। नदियों के संरक्षण का इतना बड़ा कानून उपलब्ध है, लेकिन आज तक किसी भी नदी के लिए रिवर बोर्ड बनाया ही नहीं गया। संविधान के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित वेंकटचलैया आयोग ने तो अपनी रिपोर्ट में इसे एक 'मृत कानून' करार दिया था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कई विकसित देशों का उदाहरण देते हुए इस अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की सिफारिश की थी। यह बानगी है कि हमारा समाज अपनी नदियों के अस्तित्व के प्रति कितना लापरवाह है।

दुर्भाग्य है कि विभिन्न कारणों से नदियों के उथला होने, उनकी जल-ग्रहण क्षमता कम होने और प्रदूषण बढ़ने से सामान्य बरसात का पानी भी उसमें समा नहीं रहा है और जो पानी जीवनदायी है, वह आम लोगों के लिए त्रासदी बन रहा है।

चंबल के बीहड़ों में खेती होना मुश्किल

रामवीर सिंह गुर्जर और संजीव मुखर्जी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी के करीब बसे नायकपुरा गांव के रामप्रकाश कंसाना सरकार के उस नवीनतम कदम के बारे में आशंकित है, जिसके तहत चंबल के बीहड़ों को समतल कर उन्हें खेती योग्य बनाने की योजना है। बीहड़ों में गहरे खड्डों जिन्हें स्थानीय स्तर पर भरका कहा जाता है बड़े खतरनाक हैं, वे लंबे समय से चंबल के बीहड़ों में पाए जाने वाले कई खूंखार डकैतों के घर थे। सरकार ने बीते 100 साल में चंबल के बीहड़ों में विकास और इन्हें खेती के मुफीद बनाने की कई योजनाएं बनाई हैं।

कंसाना कहते हैं कि बीहड़ की जमीन रेतीली और गहरी ज्यादा होती है। इसलिए इसे बड़े स्तर पर समतल करना संभव नहीं है। हालांकि छोटे छोटे टुकड़ों में लंबी दूरी का फासला देकर इसे खेती योग्य किया जा सकता है। चंबल एक्सप्रेसवे बनने के बारे में कंसाना का कहना है कि इसके बनने से निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। लेकिन इसमें जाने वाली जमीन के बदले किसानों को जमीन मिलनी चाहिए। अगर चंबल के बीहड़ों में उद्योग लगते हैं तो यहां के लोगों को रोजगार भी मिल सकते हैं।

भारत में लगभग 70 फीसदी बीहड़ तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं। चंबल के बीहड़ में तीन लाख हेक्टेयर ऊबड़-खाबड़ जमीन खेती योग्य नहीं है, जो बेहतर होने पर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के बीहड़ क्षेत्र के एकीकृत विकास में मदद करेगी।

बीहड़ विकास के पूर्व में किए गए प्रयास

केंद्र और राज्यों की सरकारें वर्ष 1960 के दशक के बाद से बीहड़ों के सुधार के विभिन्न कार्यक्रम लाती रही हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 1971 में बीहड़ सुधार के लिए एक विशाल परियोजना शुरू की। 27 वर्षों में चार चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली इस परियोजना की लागत 1,250 करोड़ रुपये थी। 25 वर्षों में

इस क्षेत्र में सभी 19 परियोजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन लगभग 2,000 हेक्टेयर भूमि को ही पुनः प्राप्त किया जा सका। फिर, 1980 और 1990 के दशक में एक बड़े पैमाने पर प्रयास में, राज्य सरकार ने विभिन्न पौधों की प्रजातियों के बीजों को हवा में उगाने के लिए एरियल सीडिंग डिवीजन की स्थापना की। बबूल (बबूल नीलोटिका), विलायती बबूल (प्रोसोपिस) और जंगल जलेबी (पीथेसेलोबियम डलस) जैसी प्रजातियों के लिए एरियल सीडिंग की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये प्रयोग भी असफल रहा।अब एक बार फिर सरकार इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है।

बीहड़ विकास में समस्याएं

चंबल के बीहड़ों को नजदीक से जानने वाले और ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विजय सिंह तोमर कहते हैं कि चंबल के बीहड़ों के विकास के लिए वर्ष 1919 से अब तक 50 से ज्यादा योजनाएं बन चुकी हैं। लेकिन ये योजनाएं कामयाब नहीं हुईं। अब फिर से चंबल के बीहड़ों के विकास की बात चल रही है। जहां तक चंबल के बीहड़ों को समतल कर खेती योग्य बनाने की बात है तो बीहड़ों को ना तो समतल करना संभव है और ना ही उचित है। ये बीहड़ काफी गहरे और ज्यादा कटाव वाले है। अगर बीहड़ की जमीन को समतल कर भी लिया तो अगली बारिश में मिट्टी बह जाएगी। जिससे भविष्य में बीहड़ बनने की फिर से संभावना बनी रहेगी।

बीहड़ों में खेती करने के लिए व्यावहारिक सोच अपनानी होगी। बीहड़ों को समतल कर अनाज की खेती संभव नहीं है। लेकिन बीहड़ों की जमीन के ढांचे में थोडा बहुत बदलाव कर बागवानी मसलन अमरूद, आंवला, अनार, किन्नू, आम, बेर के साथ नीम, बबूल आदि के पेड़ लगाए जा सकते हैं। जिससे चंबल के इलाके में अच्छी बारिश होने से बीहड़ों से दूर हो रही है खेती को भी लाभ होगा। तोमर बताते हैं 'बीहड़ों में औद्योगिक विकास की संभावना के बारे में तोमर ने कहा कि अगर व्यावहारिक सोच के काम किया जाए तो बीहड़ों में उद्योग लग सकते हैं। बीहड़ों में बागवानी की खेती की जाए और इनसे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग लगाए जाएं। इन उद्योगों को लगाने के लिए जरूरत भर की जमीन बीहड़ों में विकसित की जा सकती है। ग्वालियर स्थित माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के एक शोध से पता चला था कि बीहड़ के इलाकों में उद्योग लगाने की लागत मैदानी इलाकों से डेढ़ गुना अधिक होगी। शोध से पता चलता है कि पहले बीहड़ को समतल करना होगा। मिट्टी और कटाव की संभावना वाले इलाकों को मजबूत करना होगा।

पारिस्थितिकी मसला

कृषि उपयुक्त बनाने के लिए बीहड़ों को समतल करना भी पारिस्थितिक समस्याएं पैदा कर सकता है क्योंकि चंबल नदी जिस क्षेत्र में है वह कई प्रकार की मछलियों, मगरमच्छों और कई प्रवासी पक्षियों का घर भी है। वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट डॉ मनोज जैन बताते हैं कि चंबल के बीहड़ों का विकास होना जरूरी है। लेकिन इसस जीव जंतुओं को नुकसान नहीं होना चाहिए। चंबल एक्सप्रेसवे और बीहड़ों को समतल करने से निश्चित रूप से पर्यावरण को कुछ न कुछ नुकसान होगा। लेकिन देखना होगा कि सरकार इसकी भरपाई कैसे करती है। अगर सरकार भरपाई कर दे तो फिर विकास के लिए यह ठीक है।

जब चंबल के बीहड़ों के विकास की परियोजना का पर्यावरणीय आकलन होगा, तब इस पर सवाल उठेंगे। जैन कहते हैं कि चंबल नदी घडियाल और गेंगेटिक डॉल्फिन के लिए मशहूर हैं। जब गंगा में 1967 से प्रदूषण बढने लगा तो गैंजेटिक डॉल्फिन ने चंबल नदी की ओर रुख किया और चंबल का वातावरण इनके लिए मुफीद भी है। जैन कहते हैं कि चंबल एक्सप्रेसवे नदी किनारे से 1.5 किलोमीटर दूर बन रहा है। फिर भी चंबल के बीहड़ों में पाए जाने वाले जानवरों के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। पक्षी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि बीहड़ों के विकास से प्रभावित होने वाले पक्षियों का दूसरा ठिकाना या विकल्प क्या होगा।

प्रिंटिंग प्रेस इकाई को एनजीटी ने दिया 25 फीसदी जुर्माने के भुगतान का आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रिंटिंग प्रेस मशीनों और इसके स्पेयर पार्ट्स से जुडी इकाई को पर्यावरण सम्बन्धी मुआवजे के 25 फीसदी का भुगतान करने का निर्देश दिया है। जोकि मुआवजे की पहली किश्त है। गौरतलब है कि इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए इस इकाई पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 20 लाख का जुर्माना लगाया था।

इसके साथ ही इस यूनिट को एक अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा है जिसमें फिर से प्रदूषण न फैलाने और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में निषिद्ध गतिविधि फिर से शुरू न करना का वचन देने के लिए कहा है। इस मुआवजे को तीन महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और डीपीसीसी की एक संयुक्त जांच समिति द्वारा फिर से जांचा जाएगा।

साथ ही यह भी कहा है कि यदि एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि और अंडरटेकिंग दाखिल नहीं कराई जाती, तो अगले किसी आदेश की जरुरत नहीं होगी। जबकि यदि मुआवजे के पैमाने को संशोधित किया गया तो पहले का मुआवजा उसी के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

बच्चों में आयरन की कमी से वैक्सीन का प्रभाव कम हो सकता है

दुनियाभर में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 42 फीसदी बच्चे और 40 फीसदी गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी है

एक नए शोध से पता चला है कि यदि शैशव अवस्था में बच्चे के शरीर में आयरन की कमी हो तो वो भविष्य में टीकों के प्रभाव को कम कर सकती है। यह जानकारी ईटीएच ज्यूरिख द्वारा किये शोध में सामने आई है। यह शोध जर्नल फ्रंटियर्स इन इम्म्युनोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई है। इसके बावजूद अब भी हर साल करीब 15 लाख बच्चे उन बीमारियों के कारण मर जाते हैं जिनके टीके उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें कम आय वाले देशों में ही होती हैं ।टीकाकरण के बावजूद इन गरीब देशों के बच्चे इन बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर एक ही तरह की वैक्सीन होने के बावजूद इन देशों में टीके क्यों प्रभावी नहीं होते?

रीसाइक्लिंग के लिये नागरिक, सरकार, उत्पादक और ब्रांड्स साथ मिलकर काम करें

अजय माथुर

अपने आसपास के पर्यावरण को साफ और सुंदर बनाने के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की मुहिम से जुड़ेगा, तभी हम पर्यावरण को वर्तमान और भविष्य के लिए संरक्षित कर पाएंगे। पर्यावरण पर नीति अनुसंधान करने व जागरूकता फैलाने वाली संस्था TERI (दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) भी इस दिशा में सालों से काम कर रही है और ज़मीनी सच्चाइयों का भी अध्ययन करती है । ऐसी ही एक पहल के अंतर्गत TERI हर 3 साल में यूज़ किये हुए कार्टन, यानी दूध जूस आदि के डिब्बे या टेट्रा पैक पैकेज की रीसाइक्लिंग को भी स्टडी करती है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि रीसाइक्लिंग किस हद तक बढ़ रही है, इसके बढ़ने में क्या रुकावटें है, और इन रुकावटों को कैसे हटाया जा सकता है। 2020 में पूरी हुई स्टडी के विषय में अजय माथुर- डायरेक्टर जनरल, TERI ने कहा, ''हम Tetra Pak जैसे कॉरपोरेट्स के प्रयासों की सराहना करते हैं, जो इस तरह के व्यापक स्टडी को शुरू करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं।

Tetra Pak ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए लगातार अपनी सक्रियता दिखाई है और कई शहरों में इस्तेमाल किए गए पेय कार्टन्स के लिए संग्रह केंद्र स्थापित करने के साथ-साथ सूचना, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक करने में अपना योगदान दिया है। बता दें कि TERIने पेय कार्टन का प्रबंधन और रीसाइक्लिंग को लेकर Tetra Pak के सहयोग से एक स्टडी किया है, जिसे साल 2020 के शुरुआत में जारी किया गया। इस अध्ययन में भारत के 20 शहरों को चयनित किया गया। UBC प्रबंधन पर TERI द्वारा किए गए पहले की स्टडी की तुलना में यह देखा गया कि 2011 में रीसाइक्लिंग दर लगभग 29% थी, 2015 में लगभग 43% और 2019 में बढ़कर चुने गए 20 शहरों में 54% हो गई।

पर्यावरण के लिए रीसाइक्लिंग कितना महत्वपूर्ण है, इस मुद्दे पर कुछ महीने पहले TERI के डायरेक्टर जनरल, अजय माथुर, से बातचीत की गई। पेश है बातचीत के कुछ अंश –

सवाल - कृपया 2020 में रिलीज़ कि गयी स्टडी के कुछ मुख्य तथ्य हमारे साथ बाटें।

एक बात तो स्पष्ट है और यह हर स्टडी से ज्ञात हुआ है कि समय के साथ कार्टन्स कि रीसाइक्लिंग बढ़ती हुई पायी गयी। यह हमारी चौथी ऐसी स्टडी है और रीसाइक्लिंग का रेट लगातार बेहतर होता आया है। यह समझना ज़रूरी है कि यह बेहतर क्यों हो रहा है। मेरी समझ से इसके दो मुख्य कारण हैं – जानकारी और जागरूकता। लोग रीसाइक्लिंग को लेकर जागरूक हुए हैं और उनकी जानकारी भी बढ़ी है। लोग अब जानते हैं कि कार्टन्स या कचरे को इकट्ठा और उसका निपटान कैसे किया जाए। उधर कूड़ा बीनने वाले श्रमिक भी जानते हैं कि कचरा इकट्ठा करके कैसे ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है। मुख्य मुद्दा यह है कि जब नगर निकाय कूड़ा चुनने वाले श्रमिक और उपभोक्ता के साथ मिलकर काम करते हैं, तो बदलाव होता है। हमने बैंगलोर और मैसूर जैसे शहरो में सौ प्रतिशत रीसाइक्लिंग देखी है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि स्थानीय निकाय, कूड़ा बीनने वाले श्रमिक और उपभोक्ता रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित ही सौ प्रतिशत रीसाइक्लिंग संभव है।

सवाल झ्र रीसाइक्लिंग को सफल बनाने के रास्ते में क्या अहम चुनौतियां हैं?

रीसाइक्लिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती, कचरे का संग्रह है, और उसे रीसाइक्लिंग सेंटर तक पहुंचाने का है। क्योंकि कई स्थानों पर लोगों को जानकारी नहीं है कि कचरा संग्रह से भी फायदा हो सकता है। ऐसी जगहों पर कचरा मकान के आसपास और रोड पर बिखरे हुए मिलते हैं। अगर हम कचरा संग्रह के निस्तारण की प्रक्रिया से सम्बंधित लाभ को साथ जोड़ लें, तो बदलाव जरूर दिखेगा। मुझे लगता है कि समय के साथ यह बदलाव बढ़ता रहेगा। चाहे यह कानून के कारणों के लिए हो, या पर्यावरणीय चेतना के लिए हो, जैसा कि ळी३९ ढं' के मामले में देखने को मिल रहा है, ये ऐसी चीजें हैं जो रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देंगी ।

सवाल - इसमें सिविक बॉडीज या स्थानिय निकायों की भूमिका क्या है?

स्थानीय नगर निकाय महत्वपूर्ण हैं- क्योंकि ये वो लोग हैं जो उपभोक्ताओं तक पहुंच के लिए सप्लाई चेन बनाने की दिशा में काम करते हैं। इसलिए स्थानीय सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ताकि रीसाइक्लिंग में मदद मिल सके। मुख्य मुद्दा यह है कि हमने कूड़ा संग्रह की मात्रा में वृद्धि देखी है, जो इस तथ्य को बताता है कि कूड़ा बीनने वालों को एहसास हो गया है कि इससे पैसे कमाया जा सकता है। इसलिए यदि वो इकट्ठा किए गए कचरे को डीलरों को बेचते हैं और डीलर उसे रिसाइकिल करने वालों के पास भेज देते हैं, तो इससे वो मुनाफा कमा सकते हैं। इससे संग्रह श्रंखला से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। यही वजह है कि आज हमें रीसाइक्लिंग में बड़ी सफलता मिल रही है।

सवाल - सरकार इस में किस तरह मदद कर सकती है?

मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द सरकार कहे कि रीसाइक्लिंग एक 'नॉर्म' बन रही है , एक आदर्श बन रही है । वह कहें की हम रीसाइक्लिंग चाहते हैं, और हम जो सहायता कर सकतें हैं, हम वह करने के लिए तत्पर है। और हम चाहते हैं कि बाजार में रीसाइकल्ड चीज़ों का व्यापार बढ़े। मैं आशा करता हूँ कि प्रमाणित करने वाली एजेंसी भी सामने आएँगी जोकि रीसाइकल्ड सामान की मात्रा और गुणवत्ता को प्रमाणित करेंगी। इस विषय पर चर्चा शुरू हो चुकी है, और मैं आशा करता हूँ कि एक पॉजिटिव परिणाम ज़रूर निकल कर आएगा, और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा।

सवाल - टेट्रा पैक के पिछले 16 वर्षों के प्रयासों के बारे में आपका क्या कहना है? आने वाले समय में वह क्या बेहतर कर सकते हैं?

Tetra Pak ने अभी तक सही और ज़ोरदार प्रयास किये हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या बेहतर किया जा सकता है, या यूं कहें कि क्या करते रहना होगा – डीलर और रीसाइक्लर के बीच की जो कड़ी है, उसको और मजबूत करते जाएं। यह पहले से ही काफी मजबूत है, पर आगे भी मज़बूत बना रहना आवश्यक है। कूड़ा बीनने वाले श्रमिकों और रद्दीवालों का डीलर के साथ लिंक होना भी बहुत जरूरी है और यहाँ भी Tetra Pak ने काफी काम किया है। जब इन श्रमिकों को विश्वास होगा कि उनके संग्रह किये हुए यूज़्ड कार्टन्स का खरीदार तैयार बैठा है, तो वह बढ़ चढ़ कर इन्हे एकत्रित करेंगे। इसके अलावा म्युनिसिपेलिटी के साथ मिलकर काम करते रहना होगा ताकि रीसाइक्लिंग के रास्ते में कोई अड़चन न आ सके।

देश के नामचीन मौसम वैज्ञानिक डॉ पद्माकर त्रिपाठी का निधन

कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज मे33 वर्षों तक दी थी लंबी सेवा।

मिल्कीपुर अयोध्या। देश के नामचीन मौसम वैज्ञानिक एवं सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद सदस्य डॉ पद्माकर त्रिपाठी का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मौसम वैज्ञानिक श्री त्रिपाठी ने कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में 33 वर्ष अपनी सेवा दी है। वह बीते जून माह 2015 में विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष पद सेवानिवृत्त हुए थे। बताते चलें कि सिद्धार्थनगर जनपद की मूल निवासी एवं मौसम वैज्ञानिक डॉ पद्माकर त्रिपाठी (ए आर एस))कृषि शोध सेवा से कृषि संस्थान झांसी में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तैनात थे। जिसके बाद वह आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के मौसम विज्ञान विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे उन्होंने विश्वविद्यालय में 33 वर्षों की लंबी सेवा देते हुए मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक वर्ग में समूचे देश में अपना विशेष स्थान अर्जित किया था। रविवार को उनके फैजाबाद शहर स्थित मानस नगर कॉलोनी आवास पर हुई मृत्यु की खबर कृषि विश्वविद्यालय के कर्मियों को मिली दुखद समाचार प्राप्त होते ही विश्वविद्यालय के कर्मियों सहित मिल्कीपुर क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई।

सबने देश के नामचीन वैज्ञानिक की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि उनके निधन से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्णनीय क्षति हो गई है। कृषि विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ अखिलेश सिंह ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के संस्थापक विभागाध्यक्ष डॉ पद्माकर त्रिपाठी बीते वर्ष जून 2015 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। किंतु उन्हें 2 वर्ष का सेवा विस्तार मिला था और उन्होंने जनवरी 2017 तक विश्वविद्यालय में मौसम वैज्ञानिक के रूप में अपनी लंबी सेवा प्रदान की थी। उन्होंने बताया कि उनके अनुज डॉ राकेश कुमार त्रिपाठी एवं शंख माधव त्रिपाठी विश्वविद्यालय मे सेवा में है।

कई बीमारियों में लाभदायक है ऊंटनी का दूध

ऊंटनी दूध के घटक पौष्टिक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट हैं, क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरिया और एंटी-वायरल पदार्थों का उच्च अनुपात उपस्थित होता है। ऊंट प्रजाति मरुस्थलीय व शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला बहुपयोगी पशुधन है। ऊंटनी का दूध केवल पोषण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, भारत व अन्य देशों में इसका उपयोग कई बीमारियों में बहुत लाभप्रद पाया गया है। दो दशकों में ऊंटनी के दूध के औषधीय मूल्यों के कारण दूध उपयोग में वृद्धि और दिलचस्पी बढ़ती देखी गई है।

कोरोना से बचाव में मास्क कितना होगा प्रभावी, वैज्ञानिकों ने की खोज

तीन मीटर तक फैल सकती हैं बिना मास्क की खांसी की बूंदें

एजेंसियां

कोविड-19 महामारी में सार्वजनिक रूप से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना जरूरी हो गया है। हालांकि, अभी भी कई लोग मास्क पहनने से संक्रमण फैलेगा या नहीं, इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से पद्मनाभ प्रसन्ना सिम्हा, और श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च से प्रसन्ना सिम्हा मोहन राव ने विभिन्न मास्कों के साथ, अलग - अलग परिदृश्यों में खांसी के प्रवाह को लेकर एक प्रयोग किया है।

सिम्हा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करके वातावरण में संक्रमण फैलने से रोक सकता है, यह अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के लिए बेहतर स्थिति है। घनत्व और तापमान की तीव्रता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। खांसी उनके आसपास के क्षेत्र की तुलना में गर्म होती है। इस संबंध को देखते हुए, सिम्हा और राव ने एक तकनीक का उपयोग किया जिसका नाम स्कॉलरिन इमेजिंग है। यह घनत्व में परिवर्तन की कल्पना करता है, जिसमें किसी व्यक्ति पर परीक्षण किए जा रहे पांच तरह के खांसी की तस्वीरें कैप्चर की जाती हैं। क्रमिक छवियों पर खांसी की गति पर नजर रखने से, टीम ने अनुमानित बूंदों की गति और प्रसार का अनुमान लगाया।

अप्रत्याशित रूप से, उन्होंने खांसी के क्षैतिज प्रसार को कम करने में एन 95 मास्क को सबसे प्रभावी पाया। एन 95 मास्क ने खांसी के शुरुआती गति को 10 तक कम कर दिया और इसके प्रसार को 0.1 से 0.25 मीटर के बीच सीमित कर दिया। अध्ययन के निष्कर्ष एआईपी प्रकाशन के जर्नल ऑफ फ़्लूइड्स में प्रकाशित हुए हैं। बिना मास्क की खांसी की बूंदें 3 मीटर तक फैल सकती है, लेकिन यहां तक कि एक साधारण डिस्पोजेबल मास्क भी इनके फैलने की दूरी को 0.5 मीटर तक नीचे ला सकता है।

सिम्हा ने कहा, भले ही एक मास्क सभी कणों को फिल्टर नहीं करता है, अगर हम ऐसे बूंदों, कणों को बहुत दूर तक फैलने से रोक सकते हैं, तो कुछ न करने से तो बेहतर है कुछ करना अर्थात मास्क जरूर पहनना चाहिए, ताकि बूंदें वातावरण में फैल न पाएं। उन स्थितियों में जहां परिष्कृत मास्क उपलब्ध नहीं हो, संक्रमण के प्रसार को धीमा करने में किसी भी मास्क को पहना जा सकता है।

हालांकि कुछ अन्य तुलनाओं में हमें इन पर भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, खांसी को कवर करने के लिए कोहनी का उपयोग करना आमतौर पर एक जल्दबाजी में लिया गया एक अच्छा विकल्प माना जाता है, जो कि अध्ययनकर्ताओं को गलत लगता है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है जब तक आस्तीन को कवर नहीं किया गया हो, एक नंगा हाथ एयरफ्लो को रोकने के लिए नाक के खिलाफ उचित सील नहीं बना सकता है। खांसी में मौजूद बूंदें तो किसी भी खुले भाग से रिस (लीक) सकती हैं और कई दिशाओं में फैल सकती हैं।

सिम्हा और राव को उम्मीद है कि उनके निष्कर्ष इस तर्क को गलत साबित कर देंगे, जिसमें कहा गया है कि नियमित कपड़े के मास्क अप्रभावी होते हैं। लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि मास्क को सामाजिक दूरी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सिम्हा ने कहा एक तय दूरी, एक ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मास्क अपने आप में सम्पूर्ण हल नहीं हैं।

रांची रेलवे स्टेशन पर डिस्पोजेबल लिनन बूथ की सुविधा उपलब्ध

संवाददाता

रांची : 27 अगस्त 2020 को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक पर यात्रियों की सुविधा हेतु "डिस्पोजेबल लिनन" बूथ का शुभारंभ किया गया है । इस बूथ से अब इच्छुक यात्री निर्धारित मूल्य देकर डिस्पोजेबल लिनन खरीद सकते है`

आप सभी को ज्ञात है कि, कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनों में लिनन की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे यात्रियों को अपने घर से लिनन लाना होता था लेकिन अब स्टेशन पर डिस्पोजेबल लिनन बूथ उपलब्ध होने से यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान लिनन प्राप्त करने की सुविधा स्टेशन पर ही उपलब्ध हुई है ।

इस बूथ से यात्री दो प्रकार का डिस्पोजेबल लिनन खरीद सकते है 250/- के डिस्पोजेबल लिनन सेट में 01 बेड शीट, 01 मास्क, 01 ब्लैंकेट, 01 फेस शील्ड, तथा 01 सैनिटाइजर का साचेट होगा तथा रुपए 150 के डिस्पोजेबल लिनन सेट में 01 बेडशीट, 01 मास्क, 01 तकिया तथा 01 सेनीटाइजर साचेट होगा ।

नौसेना कमांड ने प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में उठाये कई कदम

एजेंसियां

नई दिल्लीः दक्षिणी नौसेना कमांड (एसएनसी) के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल के चावला ने कोच्चि के नौसेना बेस में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 'कैलिडोस्कोप-फीचर्स फ्रेंड @ कटारी बाग' शीर्षक से पक्षियों के बारे में एक पुस्तक का भी विमोचन किया।

यह पायलट परियोजना कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एर्नाकुलम जिला प्रशासन के सहयोग से 46 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ शुरू की गई है। इस सुविधा से प्रति घंटे लगभग 150 किलोग्राम प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न रीसाइक्लिंग विकल्पों के लिए किया जा सकता है।

कोच्चि के नौसेना बेस का प्रयास है कि कोच्चि के नौसेना बेस से कोई भी प्लास्टिक अपशिष्ट बाहर न जा सके। इसी के साथ नौसेना कमांड ने प्रकृति का संरक्षण करने की दिशा में अन्य उपायों की भी शुरुआत की है। इस अवसर पर कमांडर-इन-चीफ ने कहा कि अपनी जैव विविधताओं को संरक्षित करके देवभूमि वाले देश की प्राचीन सुंदरता को बहाल करने की सामूहिक आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी के लिए पृथ्वी केवल एक ही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अपशिष्ट निपटान उपायों के माध्यम से कोच्चि के कटारी बाग और उसके आस-पास के क्षेत्रों को मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इस अवसर पर वाइस एडमिरल ने 'कैलिडोस्कोप-फीचर्स फ्रेंड @ कटारी बाग' शीर्षक से पक्षियों के बारे में एक पुस्तक का भी विमोचन किया। कटारी बाग में पक्षियों पर पुस्तक का विमोचन करने का उद्देश्य कोच्चि में पर्यावरण पारिस्थितिकी प्रणाली के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करना है। वाइस एडमिरल चावला के ही संरक्षण और मार्गदर्शन में कमांडर दिग्विजय सिंह सिकरवार ने कटारी बाग-'ग्रीन हेवन' के परिसर में पक्षियों को सूचीबद्ध करने के लिए 3 वर्ष तक अध्ययन किया है। इसके बाद इस शोध को कॉफी टेबल बुक के रूप में 'कैलिडोस्कोप' का प्रकाशन किया गया। अध्ययन में कटारी बाग में पक्षियों की 74 विभिन्न प्रजातियां शामिल की गई हैं। इस पुस्तक में कटारी बाग के अंदर ली गई पक्षियों की तस्वीरों को उनकी विशिष्टता के उल्लेख के साथ शामिल किया गया है। उन्होंने कमांडर सिकरवार द्वारा इस क्षेत्र में पक्षियों को पालने की दिशा में किए गए श्रमसाध्य प्रयासों की व्यक्तिगत रूप से सराहना की।

इस अवसर पर रियर एडमिरल एमडी सुरेश, एर्नाकुलम के जिलाधिकारी एससुहास, कमोडोर एनएजे जोसेफ, आईएनएस वेंडुरुथी और कमांडर पी सुरेश (सेवानिवृत्त) के अलावा अन्य नौसैना कर्मी भी शामिल हुए।

रथिन भद्रा को एरिया सर्विस डायरेक्टर इंवॉयर्नमेंटल प्रोटेक्शन सम्मान

वाईस मेन इंटरनेशनल ने भारत में जल संरक्षण पर उल्लेखनीय काम करने वाले विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण पदों से सम्मानित किया है इसमें रथीन भद्रा को वर्ष 20-21के लिए वाइज मेन इंटरनेशनल के एरिया सर्विस डायरेक्टर इंवॉयर्नमेंटल प्रोटेक्शन "भारत तथा यूएई " जो कि इंडिया एरिया रीजन में आता है के पद से सम्मानित किया है , इस साल उनके जल संचयन के कामो को देखते हुए तथा क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जल संचयन के माध्यम से उल्लेखनीय कामो को देखते हुए साल 20-21 में भी उन्हें एरिया सर्विस डायरेक्टर इंवॉयर्नमेंटल प्रोटेक्शन के पद से सम्मानित गया ।वाईस मेन इंटरनेशनल का हेड आफिस जिनेवा में है और पूरी दुनिया मे कई क्लब्स है जिसके माध्यम से वाईस मेन इंटरनेशनल कई तरह के सामाजिक कार्यो पर काम कर रही है ।

चूंकी पूरे विश्व में अभी जल संकट है कोविड- 19 में तो हैंड वाश से ले कर अन्य कार्यो में बहुत ज्यादा मात्रा में जल की खपत हो रही है , जिससे कि इस प्राकृतिक संसाधनं का अत्यधिक दोहन हो रहा है इसी विषय को गंभीरता से लेते हुये वाइसमेन इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया मे पर्यावरण सुरक्षा पर विशेष धयान दिया है और इस क्षेत्र में रथीन भद्रा वाइज निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह मेन क्लब ऑफ रांची कैपिटल के डायरेक्टर BROTHERHOOD भी है जिनके प्रयासों से और अध्यक्ष सुवेन्दु भट्टा के सहयोग से इतिहास में पहली बार तीन अलग अलग क्लब वाइज मेन क्लब ऑफ रांची कैपिटल , रोटरी रांची साउथ तथा रोटरी क्लब ऑफ रांची ने साथ मिल कर कोविद19 से बचाव के लिए 15 , 16 तथा 23 अगस्त 2020 को 8000 लोगो को आर्सेनिक एल्बम 30 का तीन महीने का डोज इम्युनिटी बढाने के लिए दिया तथा 3000 लोगो को मुफ्त मास्क का वितरण किया गया और लोगो मे जागरूकता अभियान चलाया गया ।

इस सप्ताह के पर्यावरण मुकदमे

सांभर झील में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के आदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 27 अगस्त, 2020 को सांभर झील प्रदूषण मामले पर आदेश जारी कर दिया है। जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो इस मामले में जरुरी कार्रवाही करे। साथ ही कोर्ट ने उन्हें हर महीने प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए क़दमों की निगरानी करने के लिए भी कहा है। जिसपर मामले की अगली सुनवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2021 को होगी।

पूरा मामला सांभर झील में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ा है। जहां नमक शोधन इकाइयों के द्वारा उत्पन्न सोडियम सल्फेट कचरे के निपटान की समस्या बनी हुई है। वहां अभी भी इस कचरे का प्रबंधन नहीं हो रहा है। इस झील में डाला जा रहा कचरा और सीवेज भी एक समस्या है। इसके साथ ही इस झील पर हो रहा अतिक्रमण भी समस्या को बढ़ा रहा है। एनजीटी ने यह आदेश 20 नवंबर, 2019 को प्रकाशित एक समाचार पत्र का संज्ञान लेते हुए दिया है। जिसमें सांभर झील और उसके आस-पास के इलाकों में इकोसिस्टम में आ रही गिरावट का उल्लेख किया गया था। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट के अनुसार, वहां 18000 प्रवासी पक्षियों की मौत की घटना भी सामने आई थी।

इस घटना के लिए जलस्रोतों का ठीक से ध्यान न रखने को बताया गया था। जिसमें इस वेटलैंड के इकोसिस्टम को बनाए रखने में पर्यावरण सम्बन्धी मानदंडों के उल्लंघन की बात कही गई थी।

प्रदूषण के मामले में अपने दायित्व से नहीं भाग सकते होटलः एनजीटी

एनजीटी ने 24 अगस्त 2020 को प्रमोद कुमार अग्रवाल बनाम उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मामले में अपना फैसला दे दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण और प्रदूषण के मामले में होटल किसी भी तरह अपने दायित्व से नहीं बच सकते हैं। वो इसके लिए जल अधिनियम का फायदा नहीं उठा सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अधिनियम की धारा 26, 1974 से पहले स्थापित होटलों पर लागू होती है। होटल चलाने के लिए जल और वायु से जुड़े नियम सभी होटलों पर लागु होते हैं। ऐसे में उससे हो सकने वाले जल और वायु प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस मामले में सुशीला टूरिंग होटल और एक अन्य आवेदक ने एनजीटी के समक्ष आवेदन किया था। जिसमें उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों को चुनौती दी गयी थी। गौरतलब है कि इस मामले में एसपीसीबी ने होटलों से सीवेज उपचार की व्यवस्था करने और साथ ही होटलों को चलाने के लिए जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति लेने के लिए कहा था। इस मामले में अपील करने वाले होटलों का तर्क था कि वे 1980 से काम कर रहे थे। ऐसे में जल अधिनियम की धारा 26 के अनुसार उन्हें सहमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई तारीख अधिसूचित नहीं की जाती। होटलों ने कहा था कि उनके यहां कोई संयंत्र, मशीनरी, जनरेटर सेट या बॉयलर नहीं है। ऐसे में उन पर वायु अधिनियम, 1981 भी लागु नहीं होता है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी है। साथ ही यह फैसला दिया है कि पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े मुद्दे पर होटल किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

एनजीटी ने अवैध रेत खनन की जांच के लिए गठित की समिति

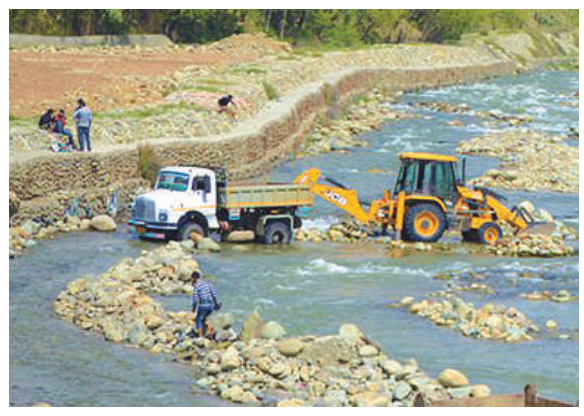

एनजीटी ने सीहोर के जिला कलेक्टर (माइंस) और मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लेकर एक समिति गठित की है। 26 अगस्त को अवैध बालू खनन की जांच करने का काम इस समिति को सौंपा गया है। इस मामले में महिला शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्था (सहस) द्वारा एनजीटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। जिसमें मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन करने का निर्देश देने के लिए कहा गया था। जैसा की पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रेत से जुड़े दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

करेले की पत्तियां भी हमारे भोजन का हिस्सा बन सकती हैं

विभा वार्ष्णेय

करेले में तो औषधीय और पौष्टिक गुण होते ही हैं, इसकी लाभकारी पत्तियां भी हमारे भोजन का हिस्सा बन सकती हैं

मैंने गमले में करेले का बीज लगाया। सोचा था करेला निकलेगा। मेरी गलत बागवानी के कारण और हमारे दिल्लीवाले घर में सूरज की रोशनी ठीक से न आने की वजह से करेले की जगह सिर्फ पत्तियां ही निकलीं। यह देखकर थोड़ा अफसोस तो हुआ लेकिन तसल्ली बस इस बात की थी कि यह पौधा देखने में सुंदर था। पत्तियों से भरी सुंदर बेल और छल्लेदार तंतु, घर की सुंदरता को बढ़ा रही थीं। मेरे एक दोस्त ने इन पत्तियों के पकौड़े बनाने की सलाह दी। इसके बाद मैंने कुछ पत्तियों को साबुत ही चावल और चने के आटे के घोल में डालकर पकौड़े बनाए। ये इतने स्वादिष्ट बने कि अलगे साल मैंने करेले के और बीज बो दिए।

करेला या मोमोर्डिका चेरेंशिया ब्लड शुगर कम कर सकता है, इसलिए डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों को इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इसके लिए कच्चे करेले का रस पिया जाता है, पर करेला डायबिटीज की दवाइयों के साथ मिलाकर ब्लड शुगर को खतरनाक स्तर तक कम कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी करेला न खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा होता है। हालांकि ज्यादातर भारतीयों को इसका कड़वा स्वाद पसंद है, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि यह सब्जी क्यों खानी चाहिए। वे इसकी कड़वाहट को कम करने के तरीके अपनाते हैं। मसलन, करेले को उबालकर उसकी कड़वाहट को निकालते हैं। या करेले को छील कर उस पर नमक लगाते हैं ताकि उससे पानी निकले और उसके साथ ही उसकी कड़वाहट भी निकल जाए। इसके बाद इसे काटकर या मसाले भरकर बनाया जाता है।

आमतौर पर, इन तरीकों में कच्चे आम या अमचूर का खुलकर इस्तेमाल होता है। करेले के पतले टुकड़ों को तलकर इसके चिप्स बनाए जाते हैं जो चाट मसाला डालकर खाए जाते हैं और इन्हें काफी पसंद किया जाता है। इन तरीकों से करेले की कड़वाहट काफी कम हो जाती है लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं होती। इससे बेहतर है कि इसकी कड़वाहट को स्वीकार किया जाए और इसका मजा लिया जाए। गर्मियों में बाजार में इसकी बहार रहती है। यह समय करेला खाने के लिए बिलकुल सही है क्योंकि इसके बीज मुलायम होते हैं और इन्हें पकाने से पहले निकालना नहीं पड़ता। करेले की तरह ही इसकी पत्तियां भी कड़वी होती हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफी मददगार होती हैं। चूंकि इसकी पत्तियां करेले जितनी कड़वी नहीं होती, इसलिए जो लोग इसकी सब्जी पसंद नहीं करते, वे भी इसकी पत्तियों का मजा ले सकते हैं। इसकी ताजी और सूखी पत्तियों से बनी चाय भी डायबिटीज के मरीजों के बीच काफी लोकप्रिय है।

बहुउपयोगी सामग्री

औषधीय गुणों से युक्त होने के साथ-साथ इसकी पत्तियां कई तरह से भोजन का हिस्सा बनकर हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाती हैं। ओडिशा में इन पत्तियों को भुने हुए प्याज में डाला जाता है और इसमें पके हुए चावल मिलाए जाते हैं। इसकी हल्की कड़वाहट माड़ वाले चावलों के साथ स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के घरों में जब करेला उपलब्ध नहीं होता, तब इन पत्तियों को पारंपरिक पकवान शुक्तो में मिलाया जाता है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें पत्तियों को आलू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत की जगह करेले की पत्तियों को पराठे में भरकर भी बनाया जा सकता है। ये चिकन और मछली के पकवानों के साथ भी अच्छी लगती हैं तथा इन्हें सलाद में कच्चा या उबली दाल में डालकर खाया जा सकता है। मुझे यह अंडे के साथ भी पसंद है।

ये पत्तियां पौष्टिक होती हैं तथा खनिजों, जैसे-पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज और कॉपर तथा विटामिन जैसे कैरोटीन, टोकोफेरोल, फॉलिक एसिड, सायनोकोबेलामिन और एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होती हैं। इनमें विटामिन बी3, बी6, डी और विटामिन के अंश भी मिलते हैं। करेला कुकुरबिटेसी परिवार से संबंधित है जिसमें खीरा, खरबूजा और सीताफल शामिल हैं। हालांकि मोमोर्डिका की उत्पत्ति का सही-सही पता नहीं है, तथापि ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूलरूप से पूर्वी एशिया, संभवतः पूर्वी भारत या दक्षिणी चीन में पाया जाता था। देश में विभिन्न हिस्सों में मोमोर्डिका की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तथापि मोमोर्डिका चेरेंशिया पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है।

आयुर्वेदिक ग्रंथों में करेले का विस्तार से उल्लेख मिलता है। स्वास्थ्य को होने वाले लाभों के कारण कई लोग करेलों से बने उत्पादों को पेटेंट कराने को आकर्षित हुए हैं। करेले के डायबिटीज रोधी गुणों के कारण वर्ष 1999 में अनिवासी भारतीय द्वारा संचालित एक कंपनी द्वारा इसके सत्व का पेटेंट कराने का मामला सामने आया था। इसके बाद सरकार की स्वदेशी पौधों के औषधीय गुणों को दस्तावेजों में दर्ज करने और दुनियाभर के पेटेंट कार्यालयों के साथ इसे साझा करने की प्रतिबद्धता मजबूत हुई।

फोटो न्यूज

कब तक बचेंगे क्रशर की मार से ये पहाड़?

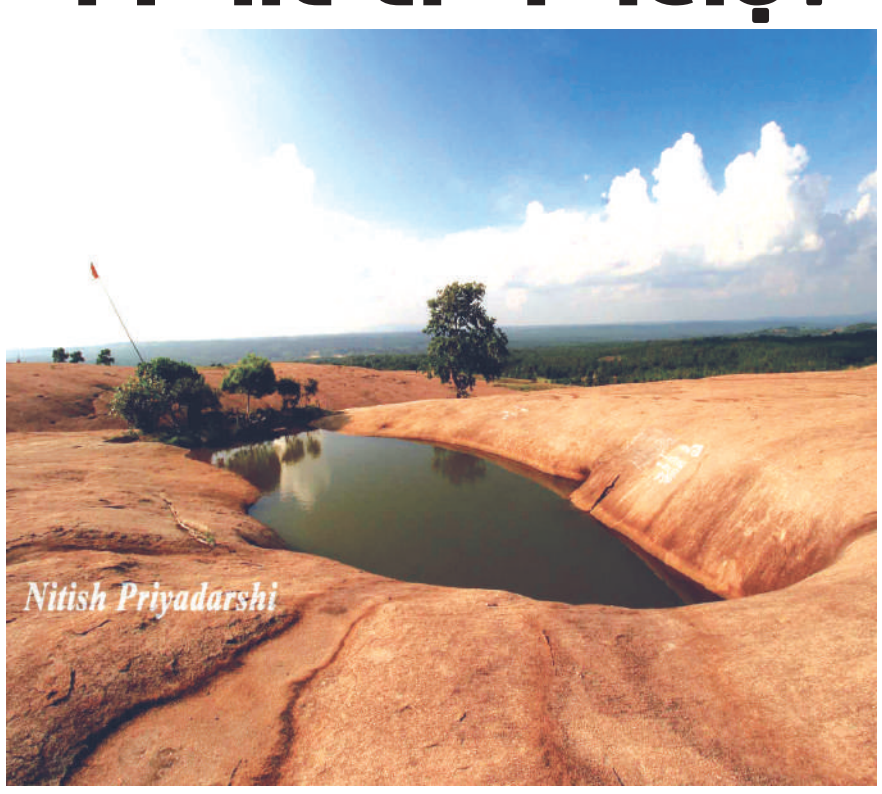

नीतिश प्रियदर्शी सर के फेसबुक वाल से

ये है रांची के पास नामकोम में मरशली (मरश्री) पहाड़। ये जगह आध्यात्मिक रहस्य के साथ साथ भूगर्भ विज्ञानं के रहस्यों को भी समेटे हुए है। यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। इस जगह पे पिछले दस साल से तीन बार जा चूका हूँ और हर वक़्त एक नयी जानकारी और एक नया रहस्य सामने आ जाता है। इस गोलाकार पहाड़ पे चट्टानों पे अपरदन के फलस्वरूप कई बनावट हैं जिसकी अब यहाँ पूजा होती है। एक पदचिन्ह भी दिखा जिसको लोग यहाँ देवी का पदचिन्ह मान के पूजा करते हैं। एक बाबा से भी भेंट हुई जो यहाँ आसाम के कामरूप से आके बस गए हैं। उन्होंने घूम घूम के पुरे पहाड़ पे इन आकृतियों को दिखाया। उनके अनुसार रक्तबीज असुर का वध भी यही हुआ था देवी के ह्राय। इस पहाड़ के ऊपर एक तालाब भी है जो एक नदी का उद्गम स्रोत है। इस पहाड़ के ऊपर कई पॉट होल्स (potholes) दिखे जो ये दर्शाता है यहाँ कभी नदी रही होगी या फिर पहाड़ के भीतर मौजूद भूमिगत जल से इसका निर्माण हुआ होगा। इस पहाड़ के बीच में एक घाटी भी है जिसको शायद यहाँ से निकलने वाली नदी ने अपरदन के फलस्वरूप बनाया होगा। इसके ढाल पे एक बड़े चट्टान को टेबल के रूप में रखा हुआ देखा। वक़्त की कमी के चलते गुफा को देख नहीं पाया जो पहाड़ के ढाल पे है। इस पहाड़ के आस पास क्रशर्स भी है जो वहां के दूसरे पहाड़ो को तोड़ चुके हैं। इस पहाड़ पे फिर जाऊंगा कुछ और रहस्यों को खोजने।

हेल्दी लाइफ़ के लिए टिप्स

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

■अपने शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए- प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी हो तो बिमारियों से बचने की सम्भावना काफी बढ़ जाती हैं। अपने हर दिन के आहार में उन खाद्य पदार्थों जरूर शामिल करना चाहिए जिसमें विटामिन,खनिज और मिनरल से प्रचुर मात्रा में हो।

■पर्याप्त मात्रा मे पानी पीये- पानी हमारे शरीर को तरोताज़ा, चुस्त और फुर्तीला रखता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें।

■हेल्दी नाश्ता करे -सुबह की शुरुआत एक अच्छे नाश्ता से करना जरूरी है। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

■खाना चबा -चबा कर खायें- खाने को चबा -चबा कर खायें और जिससे पाचन सम्बधित समस्याएं नहीं होती है।

■नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए और अगर कोई तकलीफ हो तो उसका उपचार करना भी जरूरी है। सही समय पर सही उपचार हमें स्वस्थ और फुर्तीला रखने में काफी सहायक होता है।

■धूम्रपान से बचें- हृदय ,लीवर आदि से जुड़ी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है धुम्रपान। कभी-कभी इसके कारण डिप्रेशन जैसी समस्या भी होती है।

■अच्छी नींद ले-एक अच्छी नींद दिमाग, दिल और शरीर को स्वस्थ रखता है।

■जंक फूड से बचे- वज़न बढने का और कई बीमारियों की बहुत बड़ी वजह है जंक फूड ,जितना ही ये स्वादिष्ट होते हैं उतना ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक। महिने में एक या दो बार आप खा सकते है लेकिन इसकी आदत बनाना सही नहीं होता है।

■ओवर डाईटिंग न करें- कभी-कभी हम वज़न जल्दी कम करने के लिये ओवर डाईटिंग करते है जिससे हमारा शरीर अंदर से काफी कमज़ोर हो जाता है। कोशिश करें कि आप हेल्दी खाना खायें और भूख से थोड़ा कम खाएं।

■हमेशा खुश रहें- जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। दिन में थोड़ा समय खुद के लिए भी निकाले ।खुश रहने से

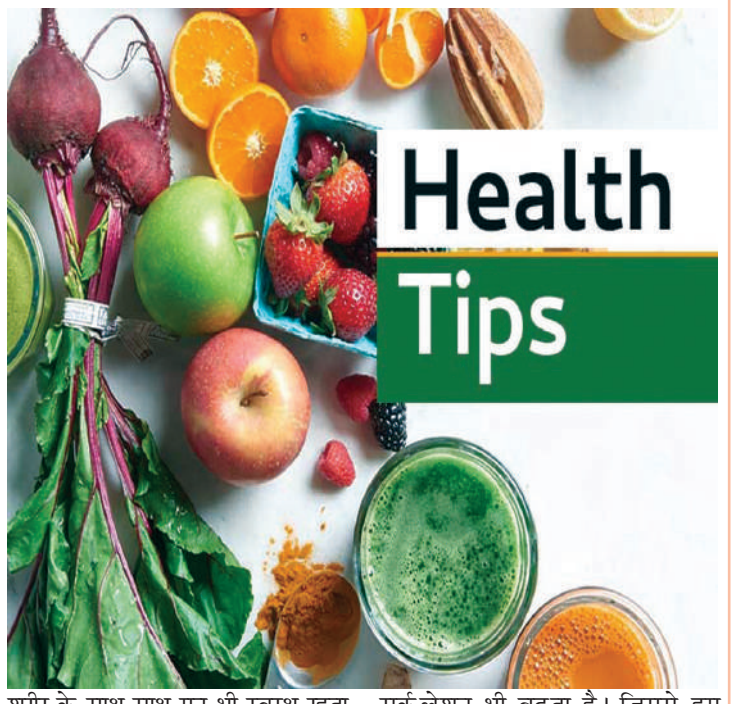

शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है और हमे अपने रोज के काम को और अच्छे से कर पाते है।

■व्यायाम करना न भूलें- व्यायाम से शरीर का स्टेमिना और मेटाबौलिक रेट तो बढ़ता ही है साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। जिससे हम फुर्तीला रहते हैं,मोटापा कम होता है और हम बीमारियों से भी बचते हैं।

हमसे जुडे. रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

राजस्थान में खनन से प्रदूषित हो रही है खारी नदी

राजस्थान में खनन के कारण खारी नदी प्रदूषित हो रही है। गौरतलब है कि एनजीटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि खसरा नंबर 41/2 पर अतिक्रमण किया गया था। इसके बारे में जानकारी मिली थी कि यह एक सड़क थी जिसका इस्तेमाल वहां के ग्रामीण आने जाने के लिए करते थे।

लेकिन खनन विभाग ने खनन के लिए उक्त सड़क के दोनों किनारों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया था। जिसे बाद में खनन क्षेत्र के रूप में चिह्नित कर दिया गया था। इसके साथ ही इस खनन के कारण खारी नदी की जल गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। इस नदी के पानी का इस्तेमाल मुख्य रूप से पीने के लिए किया जाता है। साथ ही वहां खनन के कारण वहां की झोपड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस खनन का बुरा असर वहां रहने वाले हजारों परिवारों पर पड़ रहा है। साथ ही वहां के जीव जंतुओं और वनस्पति पर भी इसका असर हो रहा है। इस मामले में एनजीटी ने जिला खनन अधिकारी/ कलेक्टर (खनन) और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही समिति को छह सप्ताह के भीतर एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

भोपाल के छोटा तालाब के प्रदूषण पर एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट

एजेंसियां

भोपाल के छोटा तालाब में हो रहे प्रदूषण पर एनजीटी ने तलब की रिपोर्ट जस्टिस श्यो कुमार सिंह की बेंच ने भोपाल के कलेक्टर, नगर निगम और एमपीपीसीबी की एक संयुक्त समिति के लिए निर्देश जारी किया है। इस आदेश में उन्हें छोटा तालाब में हो रहे प्रदूषण के मामले में एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। एनजीटी द्वारा यह आदेश 25 अगस्त को जारी किया गया है।

गौरतलब है कि जानकारी मिली थी कि झील में मछलियों को मारने के लिए मिटटी के गोलों में हानिकारक रसायन भरकर डाला गया था। जिसकी वजह से झील का पानी प्रदूषित हो गया था। ऐसा बड़ी मात्रा में मछलियों को मारने और उन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए किया गया था।

हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को जल्द अंतिम रूप दें टीएनपीसीबी: एनजीटी

एजेंसियां

24 अगस्त, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टीएनपीसीबी के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें उसे हानिकारक रसायनों के लिए आपातकालीन योजनाओं को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। अपने इस आदेश में एनजीटी ने कहा है कि यह योजनाएं ऑफ-साइट और ऑन-साइट दोनों के लिए होंगी। साथ ही इन योजनाओं के निर्माण में एमएसआईएचसी नियम 1989 का भी ध्यान रखना जरुरी है।

कोर्ट के अनुसार इन योजनाओं का निर्माण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही इसमें उन सभी प्राधिकरणों और संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो इन पदार्थों के भंडारण और हैंडलिंग से जुड़े हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि एनजीटी द्वारा जारी यह आदेश 2015 से चेन्नई के गोदाम में रखे 700 टन अमोनियम नाइट्रेट के मामले पर अदालत में दायर आवेदन के जवाब में आया है।

इस मामले में तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके अनुसार इस गोदाम से 697 टन अमोनियम नाइट्रेट वाले 37 कंटेनरों को मेसर्स साल्वो एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स प्राइवेट के पास भेज दिया गया है। जोकि तेलंगाना में एक डेटोनेटर निर्माता है और उसके पास अमोनियम नाइट्रेट के लिए वैध ला-इसेंस है। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि पहले की रिपोर्ट में इसकी मात्रा 740 टन बताई गई थी जोकि वास्तव में 697 टन है।

कृष्णागिरि जिले में अब अवैध तरीके से नहीं पाली जा रही है अफ्रीकी मांगुर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को कृष्णागिरि जिले के कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में अफ्रीकी कैटफ़िश पालन नहीं किया जा रहा है। यदि भविष्य में इस तरह के मामले सामने आते है तो जिला प्रशासन द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अफ्रीकी कैटफ़िश जिसे 'अफ्रीकी मैगुर' भी कहा जाता है, इसे कृष्णागिरी जिले में अवैध तरीके से पाला जा रहा है। इस गतिविधि को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस गतिविधि में चिकन के कचरे, अंडे के अपशिष्टों को अफ्रीकी कैटफ़िश को खिलाने से दुर्गंध और जल प्रदूषण होता है। 22 अक्टूबर, 2019 के एनजीटी के आदेश के अनुपालन में, जिला प्रशासन ने 5 दिसंबर, 2019 को 9 निरीक्षण टीमों का गठन किया था। जिसमें मत्स्य, पुलिस, ग्रामीण

विकास और राजस्व विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया था। टीमों को निर्देश दिया गया था कि निषिद्ध अफ्रीकी कैटफ़िश पालन की पहचान करके इन्हें हाथोंहाथ नष्ट कर दिया जाए।

24 दिसंबर 2019 को कृष्णागिरि जिले के मत्स्य पालन के सहायक निदेशक द्वारा रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि 9 निरीक्षण टीमों ने 7 से 23 दिसंबर, 2019 तक पूरे कृष्णागिरि जिले में सभी मछली के तालाबों का निरीक्षण किया। टीमों ने 259 अफ्रीकी कैटफ़िश पालन केंद्रों को प्रतिबंधित किया और जिले के सभी कैटफ़िश भण्डारों को नष्ट कर दिया गया। यह रिपोर्ट 25 अगस्त, 2020 को एनजीटी की साइट पर अपलोड की गई।

श्वसन से संबंधित संक्रमण में शहद है प्रभावी

एजेंसियां

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 'मेडिकल स्कूल एंड नफील्ड डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी केयर हेल्थ साइंसेस' के विशेषज्ञों ने कहा है कि शहद में बैक्टीरिया रोधी गुण हैं। शहद एंटीबायोटिक दवा से कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। शोधकर्ताओं ने 'अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन' (यूआरटीआइ) यानी ऊपरी श्वसन से संबंधित संक्रमण में शहद के प्रभावी होने के पिछले कई अध्ययनों की तुलना की है। शोध में पाया गया कि खांसी में एंटीबायोटिक दवा की तुलना में शहद में 36 फीसद ज्यादा सही करने की क्षमता है। इसके अलावा शहद गंभीर कफ होने की आशंका को 44 फीसद तक कम करता है।

वैज्ञानिकों ने अपने शोध के आधार पर यह साबित किया है कि सर्दी-खांसी में एंटीबायोटिक दवाओं से कहीं ज्यादा शहद असरदार है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर सर्दी- खांसी में एंटीबायोटिक खाने के बारे में सोचते है तो इस विचार को भूल जाइए, इसके बदले आप शहद लीजिए। विशेषज्ञों ने कहा है कि चिकित्सकों को अपने मरीजों से एंटीबायोटिक दवा देने के बजाय एक चम्मच शहद लेने की सलाह देनी चाहिए। यह सांस और दमा के मरीज रखें खास ख्यालदिमाग को तेज करने में मदद करता है शहद का सेवन, जाने अन्य फायदे

शहद में बैक्टीरिया रोधी (एंटीबैक्टीरियल रजिस्टेंस) गुण हैं। यानी बैक्टीरिया को खत्म करने वाला गुण है। शोधकर्ताओं ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूआर-टीआइ) यानी ऊपरी श्वसन से संबंधित संक्रमण में शहद के प्रभावी होने के पिछले कई अध्ययनों की तुलना की है। सर्दी-जुकाम की तरह ही यह भी एक आम बीमारी है जो नाक, साइनस और सांस लेने की नली को प्रभावित करती है।

इसके बाद पाया कि शहद एंटीबायोटिक दवा से कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। शहद को सर्दी, खांसी, गले में जलन या गले में भारीपन को खत्म करने के लिए उत्तम माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन बीमारियों में जहां दवा लेने पर इसके कई साइड इफेक्ट हैं, वहीं शहद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

शोध में पाया गया कि खांसी में एंटीबायोटिक दवा की तुलना में शहद में 36 फीसद ज्यादा सही करने की

क्षमता है। इसके अलावा शहद गंभीर कफ होने की आशंका को 44 फीसद तक कम करता है। इसके अलावा यह भी पाया गया कि सर्दी-खांसी को सही करने में जितना समय दवा लेती है, उससे कहीं कम समय शहद लेता है। गंभीर खांसी के दौरान भी अगर शहद को नियमित लिया जाए तो यह दो दिन के अंदर इसे सही करने की क्षमता रखता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस शोध में कहा गया है कि शहद में ऐसे कई गुण मौजूद हैं, जिससे यह सर्दी-खांसी के लक्षण को कम करता है, बार-बार सर्दी खांसी होने से रोकता है और गंभीर खांसी भी नहीं होने देता।

शहद एंटी माइक्रोबियल के शरीर में फैलने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बच्चों पर शहद बड़ों की तुलना में जल्दी असर करता है। ऐसे में बच्चों को सर्दी-जुकाम में शहद देने से उनका शरीर जल्दी ठीक हो सकता है। शहद और किशमिश दोनों में कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर के किसी भी अंग में कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। शहद और किशमिश में मैग्नीशियम होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि हल्दी और शहद का मिश्रण सांस संबंधी समस्याओं का बढ़िया समाधान है। साथ ही, निम्न रक्तचाप में भी इसे फायदेमंद पाया गया है। हल्दी और शहद का मिश्रण डाइबिटीज में भी लाभप्रद पाया गया है। खास तौर से आंवले के रस के साथ इसका सेवन करने से मधुमेह के स्तर में कमी आती है। पाया गया है कि त्वचा की समस्याओं जैसे झाइयां, झुरियां, दाग-धब्बे आदि से छुटकारा पाने के लिए हल्दी, शहद और गुलाबजल के मिश्रण का लेप लाभकारी होता है।

E ZONE CARE

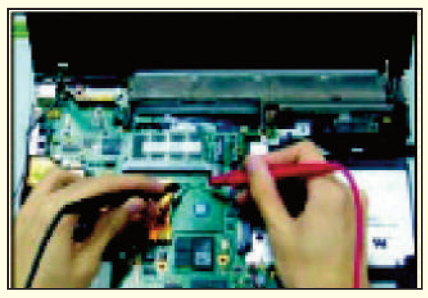

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।